

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

-:: कार्यालय आदेश ::-

का०आ०सं०-1/स्थाप०(क्षे०)निदे०-04/2025- 47

पटना-01, दिनांक- 09.06.26

वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 16.10.2025 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 के प्रावधानुसार निदेशालय नियोजन के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत् बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों एवं कार्यालय परिचारियों को दिनांक-26.05.2026 को सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के आलोक में निम्नरूपेण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	एम०ए०सी०पी० की देय तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4
1.	श्री संजय कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक	विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना।	तृतीय एम०ए०सी०पी० 27.02.2021 वेतन स्तर-8
2.	श्री रणधीर बिहारी, उच्चवर्गीय लिपिक (प्रधान लिपिक का कार्यकारी प्रभार)	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया जी।	द्वितीय एम०ए०सी०पी० 24.05.2025 वेतन स्तर-5
3.	श्री अरविन्द कुमार पासवान, उच्चवर्गीय लिपिक (प्रधान लिपिक का कार्यकारी प्रभार)	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया जी।	द्वितीय एम०ए०सी०पी० 07.06.2025 वेतन स्तर-5
4.	श्री संजय कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	जिला नियोजनालय, औरंगाबाद।	तृतीय एम०ए०सी०पी० 01.04.2025 वेतन स्तर-8
5.	श्री विशाल, उच्चवर्गीय लिपिक	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना।	द्वितीय एम०ए०सी०पी० 04.08.2025 वेतन स्तर-5
6.	श्री उमाशंकर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना।	तृतीय एम०ए०सी०पी० 01.01.2019 वेतन स्तर-4
7.	श्री सत्येन्द्र कुमार पासवान, कार्यालय परिचारी (कार्यालय परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-III) का कार्यकारी प्रभार)	जिला नियोजनालय, वैशाली, हाजीपुर।	प्रथम एम०ए०सी०पी० 15.06.2020 वेतन स्तर-2
8.	श्री राम बिलास सिंह, कार्यालय परिचारी (कार्यालय परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-III) का कार्यकारी प्रभार)	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर।	प्रथम एम०ए०सी०पी० 12.08.2025 वेतन स्तर-2

2. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित करते हुए अधिक/कम भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. C.W.J.C No-18727/2017 (कमलानन्द ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य समरूप वाद से संबंधित मामले में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

ह०/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक-1/स्थाप०(क्षे०)निदे०-04/2025

पटना-01, दिनांक- 09.06.25

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार/संयुक्त निदेशक (नियोजन), मगध प्रमण्डल, गया जी/उप निदेशक (नियोजन), पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर/सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर/जिला नियोजनालय, औरंगाबाद, वैशाली (हाजीपुर)/आई०टी०मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/सभी संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।